रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

सं. 66] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2001/माघ 13, 1922

No. 66] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2001/MAGHA 13, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2001

का.आ. 97(अ).— केन्द्रीय सरकार, जिसने संयुक्त अरब अमीरात की सरकार से आपराधिक मामलों के संबंध में संयुक्त अरब अमीरात में किसी व्यक्ति को समन या वारन्ट की तामील के लिए ठहराव कर रख हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के अनुसरण में निदेश देती है कि -

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम समन, या

(ख) किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारेंट, या

(ग) किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाला ऐसा कोई समन कि वह हाजिर हो और कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करे अथवा उसे पेश करे, या

(घ) तलाशी वारंट ;

भारत में किसी न्यायालय द्वारा सक्षम दण्ड न्यायालय को, जिसे उस देश में प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त है, संयुक्त अरब अमीरात में केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से उस न्यायालय को दो प्रतियों में यह निदेश देते हुए जारी किया जाएगा कि वह ऐसे समन या वारंट की तामील उसमें नामित व्यक्ति पर करे ।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि ऐसा समन या वारंट संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारी को भेजे जाने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा ।

[फा. सं. 2/9/2000-न्या०सैल]

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2001

S.O. 97(E).— Whereas arrangements have been made with the Government of the United Arab Emirates for service of summons or warrant, in relation to criminal matters, on any person in the United Arab Emirates , the Central Government, in pursuance of clause (ii) of sub-section (1) of section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), hereby directs that

(a) a summons to an accused person, or

(b) a warrant for the arrest of an accused person, or

(c) a summons to any, person requiring him to attend and produce a document or other thing, or to produce it, or

(d) a search warrant;

shall be issued by a Court in India, in duplicate, to the competent Criminal Court having authority, under the law in force in that country, through the Central authority in the United Arab Emirates, directing that Court to serve such summons or execute such warrant on the person named therein.

2. The Central Government further directs that such a summons or a warrant shall be sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmision to the authority in the United Arab Emirates.

[F. No. 2/9/2000-Judl. Cell]

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2001

का.आ. 98(अ).— केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उपधारा (2) के अनुसरण में, संयुक्त अरब अमीरात में सक्षम दण्ड न्यायालय को, जिसे उस देश में प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त हो, आपराधिक मामलों के संबंध में किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम समन, या किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट, या किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाला ऐसा कोई समन कि वह कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे, ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो आपराधिक मामलों के संबंध में भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों को समन या वारंट जारी कर सकेगा ।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि ऐसी दशा में जहां संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त किसी समन या तलाशी वारंट की तामील हो चुकी है, वहां पेश की गई दस्तावेजों या चीजों या तलाशी के दौरान मिली चीजें, समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय को संयुक्त अरब अमीरात में केन्द्रीय प्राधिकारी को भेजने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भेजी जाएंगी ।

[फा. सं. 2/9/2000-न्या०सैल]
दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2001

S.O. 98(E).— In pursuance of sub-section (2) of section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies the competent Criminal Court in the United Arab Emirates and having authority, under the law in force in that country, to issue a summons to an accused person, or a warrant for the arrest of an accused person, or a summons to any person requiring him to attend and produce a document or other thing, or to produce it in relation to criminal matters as the Court by which such a summons or a warrant may be issued to persons residing in India in relation to criminal matters.

2. The Central Government further directs that in a case where a summons or a search warrant received from the United Arab Emirates has been executed, the documents or

things produced or things found in the search shall be forwarded to the Court issuing the summons or the search warrant through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority in the United Arab Emirates.

[F. No. 2/9/2000-Judl. Cell]
DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2001

का.आ. 99(अ).—केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उपधारा (1) के अनुसरण में यह निदेश देती है कि भारत में के किसी न्यायालय का किसी व्यक्ति को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए गिरफ्तारी के लिए संयुक्त अरब अमीरात के किसी स्थान में निष्पादित किया जाने वाला वारंट इससे उपाबद्ध प्ररूप में जारी किया जाएगा और ऐसा वारंट दो प्रतियों में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को संयुक्त अरब अमीरात में केन्द्रीय प्राधिकारी को पारेषित किए जाने के लिए भेजा जाएगा।

प्ररूप

साक्षी को लाने के लिए वारंट

(धारा 105ख देखिए)

प्रेषिती

संयुक्त अरब अमीरात का सक्षम दण्ड न्यायालय

(केन्द्रीय प्राधिकारी, संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से)

मेरे समक्ष यह परिवाद किया गया है कि——————————————(पता) के——————————(अभियुक्त का नाम और वर्णन) ने——————————————(अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और यह संभा प्रतीत होती है कि——————————————(साक्षी का नाम और वर्णन) उक्त परिवाद से संबंधित साक्ष्य दे सकता है; और यह प्रतीत होता है कि उक्त साक्षी आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है। और मेरे पास यह विश्वास करने का ठोस और पर्याप्त कारण है कि वह तब तक हाजिर नहीं होगा या निम्नलिखित दस्तावेज या अन्य चीजें पेश नहीं करेगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए विवश न किया जाए :

(i) यहां उन दस्तावेजों

(ii) और चीजों की सूची

(iii) दें जो पेश की जानी है।

मुझे——————————————को, यह अनुरोध करना है और इसके द्वारा मैं यह अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए आप उक्त (साक्षी का नाम) को गिरफ्तार कराएंगे और ऐसे व्यक्ति से ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज या चीज जो उसके कब्जे में है, पेश करने की अपेक्षा भी करेंगे तथा उस व्यक्ति की अभिरक्षा में लिए गए दस्तावेजों या चीजों सहित गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से मेरे पास भेजेंगे।

तारीख————————————को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा के अधीन दिया गया।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट

[फा. सं. 2/9/2000-न्या०सैल]
दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2001

S.O. 99(E).— In pursuance of sub-section (1) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that a warrant from a Court in India for arrest of a person to attend or produce a document or other thing, to be executed in any place in the United Arab Emirates shall be issued in the form annexed hereto and that such warrant shall be sent in duplicate to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Central Authority in the United Arab Emirates.

Form

Warrant To Bring Up A Witness

(see section 105B)

To

The Competent Criminal Court
of United Arab Emirates.

(Through the Central authority, United Arab Emirates)

Whereas complaint has been made before me that (name and description of the accused) or (address) has (or is suspected to have) committed an offence of (mention the

offence concisely), and it appears likely that (name and description of witness) can give evidence concerning the said complaint, and whereas it appears that the said witness is residing within the local limits of your jurisdiction. And whereas I have good and sufficient reason to believe that he will not attend or produce the following documents or other things unless compelled to do so :

(i)	Here give the list
(ii)	of documents or things to be
(iii)	produced.

I,----------have the honour to request and hereby do request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to cause the said (Name of the witness) to be arrested and also require such person to produce the document or thing listed above which may be in his possession and to forward the person in custody alongwith the documents or things to the undersigned through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this---------- day of ----------2001.

Seal of the Court Judge/Magistrate

[F. No. 2/9/2000-Judl. Cell]
DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2001

का.आ. 100(अ).— केन्द्रीय सरकार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उपधारा (2)के अनुसरण मे, यह निदेश देती है कि किसी आपराधिक मामले मे अन्वेषण या जांच के दौरान किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए संयुक्त अरब अमीरात के किसी स्थान मे तामील और निष्पादित किए जाने वाले, यथास्थिति, समन या वारंट, इससे उपाबद्ध यथास्थिति, प्ररूप 'क' या प्ररूप 'ख' मे जारी किए जाएगे और ऐसे समन या वारंट संयुक्त अरब अमीरात मे केन्द्रीय प्राधिकारी को पारेषित किए जाने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजे जाएगे ।

प्ररूप 'क'

साक्षी को समन

[धारा 105ख की उपधारा(2) देखिए]

प्रेषिती

....

....

मेरे समक्ष यह आवेदन किया गया है कि ..... (पता) के ..... (अभियुक्त का नाम) ने ..... (समन और स्थान सहित अपराध को संक्षेप मे लिखिए) का अपराध किया है (यह संदेह है कि उसने किया है) और मुझे यह प्रतीत होता है कि यह संभावना है कि आप अभियोजन के लिए तात्विक साक्ष्य देगे या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करेगे :

इसके द्वारा आपको समन किया जाता है कि ऐसा दस्तावेज या चीज पेश करने या उक्त आवेदन के विषय से संबंधित आप जो कुछ जानते हैं उसका साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष तारीख ..... को पूर्वाह्न मे ठीक दस बजे हाजिर हो और उसके पश्चात् न्यायालय के आदेश के बिना न जाए, और आपको इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि यदि आप उक्त तारीख को न्यायसंगत हेतुक के बिना हाजिर होने में उपेक्षा करेगे या उससे इन्कार करेगे, तो आपको हाजिर कराने के लिए वारंट जारी किया जाएगा ।

तारीख .....

(न्यायालय की मुद्रा) हस्ताक्षर

प्ररूप 'ख'

साक्षी को लाने का वारंट

प्रेषिती

.....

संयुक्त अरब अमीरात का सक्षम दंड न्यायालय

(केन्द्रीय प्राधिकारी, संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से)

मेरे समक्ष आवेदन किया गया है कि ..... पता के ..... (अभियुक्त का नाम और वर्णन) ने ..... (समय और स्थान सहित अपराध को संक्षिप्त मे लिखिए) का अपराध किया है (यह संदेह है कि उसने किया है) और मुझे यह प्रतीत होता है कि यह संभवना है कि (साक्षी का नाम और वर्णन) अभियोजन के लिए तात्विक साक्ष्य देगा या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करेगा और उक्त साक्षी आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है और मेरे पास विश्वास करने का ठोस और पर्याप्त कारण है कि वह उक्त मामले के अन्वेषण या जांच मे तब तक हाजिर नहीं होगा तब तक कि उसे ऐसा करने के लिए विवश न किया जाए :

मुझे ..... को, यह अनुरोध करना है और इसके द्वारा मैं यह अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए आप उक्त (व्यक्ति का नाम) को गिरफ्तार कराएंगे और उसे गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से मेरे पास अभिरक्षा में भेजेंगे ।

तारीख ..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा के अधीन दिया गया ।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट

[फा. सं. 2/9/2000-न्या०सैल]
दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2001

S.O. 100(E).— In pursuance of sub-section (2) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that summons or warrant, as the case may be, for attendance of a person during the investigation or inquiry in any criminal case, to be served or executed in any place in the United Arab Emirates shall be issued in the forms A or B annexed hereto, as the case may be, and such summons or warrant shall be sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Central authority, in the United Arab Emirates.

Form A

Summons To Witness

[see sub-section (2) of section 105B]

To

Whereas application has been made before me that

(Name of the accused) of (address) has (or is suspected to have) committed the offence of (state the offence concisely with time and place) and it appears to me that you are likely to give material evidence or to produce any document or other thing for the prosecution;

You are hereby summoned to appear before the Court on the ----------day of ----------next at 10 O'clock in the forenoon to produce such document or thing or to testify what you know concerning the matter of the said application, and not to depart then without the order of the Court, and you are hereby warned that, if you shall without just cause neglect or refuse to appear on the said date, a warrant will be issued to compel your attendance.

Dated, this----------date of ----------2001.

Seal of the Court Signature

Form - B

Warrant To Bring Up A Witness

[see sub-section (2) of section 105B]

To

The Competent Criminal Court of United Arab Emirates.

(Through the Central Authority, United Arab Emirates)

Whereas application has been made before me that,---------(name and description of the accused)----------of (address) has (or is suspected to have) committed an offence of ----------(state the offence concisely with time and place) and it appears to me that ----------(name and description of witness) is likely to give material evidence or to produce any document or other thing for the prosecution; and whereas the said witness is residing within the local limits of your jurisdiction; and whereas I have good and sufficient reason to believe that he will not attend the investigation or inquiry of the said case unless compelled to do so;

I,----------, have the honour to request and hereby do request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to cause the said ----------(name of person) to be arrested and to forward him in custody to the undersigned, through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court

this---------------day of ----------------2001.

Seal of the Court Judge/Magistrate

[F. No. 2/9/2000-Judl. Cell]
DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2001

का.आ. 101(अ).— केन्द्रीय सरकार, जिसने संयुक्त अरब अमीरात की सरकार से भारत के न्यायालयों में आपराधिक मामलों के संबंध में संयुक्त अरब अमीरात में निवास करने वाले साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए ठहराव कर रखे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 285 की उपधारा (3) के अनुसरण में और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0नि0आ0 3490, तारीख 2, नवंबर 1965 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि (क) संयुक्त अरब अमीरात में साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन इससे उपाबद्ध प्ररूप में भारत के न्यायालयों द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के किसी सक्षम दंड न्यायालय को, जिसे संयुक्त अरब अमीरात और प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त है, जारी किया जाएगा (ख) ऐसा कमीशन संयुक्त अरब अमीरात में केन्द्रीय प्राधिकारी को भेजे जाने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा।

.......................न्यायायल मे

भारत से बाहर साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन (दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 285(3) देखिए)

प्रेषिती

गृह मंत्रालय

भारत सरकार के माध्यम से

मुझे यह प्रतीत होता है कि मामला संख्या...............बनाम........................न्यायालय..............

में..................का साक्ष्य आवश्यक है और ऐसा साक्षी आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर निवास कर रहा है और उसकी हाजिरी अनुचित विलंब, व्यय या असुविधि के बिना नहीं कराई जा सकती है, मैं...........आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उपर्युक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए उक्त साक्षी को समय और स्थान पर, जो आप नियत करें, हाजिर होने के लिए समन करें और ऐसे साक्षी की परीक्षा उन परीक्षाप्रश्नों (मौखिक परीक्षा के लिए) के आधार पर कराएं जो इस कमीशन के साथ भेजे जा रहे है।

कार्यवाही का कोई पक्षकार आपके समक्ष काउंसेल या अभिकर्ता द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं है, तो स्वयं हाजिर हो सकेगा और (यथास्थिति) उक्त साक्षी की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनःपरीक्षा कर सकेगा।

और मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप उक्त साक्षी के उत्तर लिखवाएं और सभी बहियों, पत्रों कागजों और दस्तावेजो को, जो ऐसी परीक्षा के दौरान पेश किए जाएं, पहचान के लिए सम्यक रूप से चिह्नित कराएं और आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप ऐसी परीक्षा को अपनी सरकारी मुद्रा (यदि कोई हो) और अपने

हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करे और उसे इस कमीशन के साथ अधोहस्ताक्षरी को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भेजे ।

तारीख..... .....

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय

की मुद्राधीन प्रदत्त ।

न्यायाधीश/ मजिस्ट्रेट

[फा. सं. 2/9/2000-न्या० सैल]
दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2001

S.O. 101(E).— Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of United Arab Emirates for taking the evidence of witnesses residing in the United Arab Emirates in relation to criminal matters in Courts in India, the Central Government in pursuance of sub-section (3) of section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No.S.R.O.3490 dated the 2nd November, 1965, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby directs that (a) Commission for examination of witnesses in relation to criminal matters in the United Arab Emirates shall be issued by the Courts in India in the form annexed hereto, to any competent Criminal Court of United Arab Emirates having authority under the law in force in the United Arab Emirates; (b) such Commission shall be sent to the Ministry Home of Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority in United Arab Emirates.

IN THE COURT OF ----------

Commission to examine witness outside India [section 285(3) of the Code of Criminal Procedure, 1973].

To

----------,
Through the Ministry of Home Affairs,
Government of India,
New Delhi.

Whereas it appears to me that the evidence of ----------is necessary for the ends of justice in case No.---------Vs--------in the Court of----------and that such witness is residing within the local limits of your jurisdiction and his attendance cannot be procured without unreasonable delay, expense or inconvenience, I, ----------, have the honour to request and do hereby request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to summon the said witness to attend at such time and place as you shall appoint and that you will cause such witness to be examined upon the interrogatories which accompany this Commission (for viva voce).

Any party to the proceeding may appear before you by his counsel or agent or, if not in custody, in person, and may examaine, cross-examine or re-examine (as the case may be) the said witness.

And I further have the honour to request that you will be pleased to cause the answers of the said witness to be reduced into writing and all books, letters, papers and documents produced upon such examination to be duly marked for identification and that you will be further pleased to authenticate such examination by your official seal (if any) and by your signature and to return the same together with this Commission to the undersigned through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court

this ----------day of----------2001.

Seal of the Court Judge/Magistrate

[F. No. 2/9/2000-Judl. Cell]
DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2001

का.आ. 102(अ).— केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 290 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0नि0आ0 3785, तारीख 3 दिसंबर 1965 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के ऐसे सभी सक्षम दण्ड न्यायालयों को जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात में प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसे न्यायालयों का प्राधिकार प्राप्त है ऐसे न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है, जिनके द्वारा भारत में निवास कर रहे साक्षियों की दाण्डिक मामलों के संबंध में परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है।

[फा. सं. 2/9/2000-न्या० सैल]
दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2001

S.O. 102(E).— In pursuance of clause (b) of sub-section (2) of section 290 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No.S.R.O.3785 dated the 3rd December, 1965, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies all competent Criminal Courts of the United Arab Emirates having authority, under the law in force in the United Arab Emirates as the Courts by whom Commission for the examination of witnesses in relation to criminal matters residing in India may be issued.

[F. No. 2/9/2000-Judl. Cell]
DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2001

का.आ. 103(अ).— केन्द्रीय सरकार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि संयुक्त अरब अमीरात के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 7क के उपबंध बिना किसी शर्त अपवाद या प्रतिबंध के इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

[फा. सं. 2/9/2000-न्या० सैल]
दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2001

S.O. 103(E).— In exercise of the powers conferred by section 105L of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that the

provisions of chapter VIIA of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply without any condition, execution or qualification in relation to United Arab Emirates with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 2/9/2000-Judl. Cell]
DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.